

**समाहरणालय, मुंगेर**  
(जिला योजना कार्यालय)

**आदेश**

मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना अन्तर्गत वर्ष 2016-17 हेतु माननीय स0वि0प0, तनवीर अख्तर द्वारा अनुशासित योजना में से निम्न योजना का प्राक्कलन तकनीकी स्वीकृति के पश्चात कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, मुंगेर के पत्रांक-180, दिनांक-15.02.2017 द्वारा इस कार्यालय को प्रशासनिक स्वीकृति हेतु प्राप्त हुए हैं।

सम्यक विचारोपरान्त निम्नांकित योजना पर प्रदत्त तकनीकी स्वीकृति के आलोक में अग्रलिखित शर्तों के साथ निम्न प्रकार प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र0	योजना का नाम	प्रखण्ड/ निकाय	तकनीकी स्वी0 राशि	प्रशा0 स्वी0 की राशि	प्राक्कलन संख्या
1	2	3	4	5	6
01	भाग-1 मुख्य सड़क की ओर के राजा रानी तालाब के किनारे का सौन्दर्यीकरण कार्य	नगर निगम, मुंगेर	1496100.00	1496100.00	TAH01
02	भाग-2 मुख्य सड़क से बिहार योग विद्यालय के गेट तक के राजा रानी तालाब के किनारे का सौन्दर्यीकरण कार्य	नगर निगम, मुंगेर	1496000.00	1496000.00	TAH02
03	भाग-3 बिहार योग विद्यालय के गेट से संग्रहालय तक के राजा रानी तालाब के किनारे का सौन्दर्यीकरण कार्य	नगर निगम, मुंगेर	1498700.00	1498700.00	TAH03
योग-			4490800.00	4490800.00	

प्रशा0 स्वी0 की कुल राशि मो0-4490800.00 (चौब्वालीस लाख नब्बे हजार आठ सौ) रूपये मात्र।

**शर्तें-**

- कार्यकारी एजेंसी कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, मुंगेर यह सुनिश्चित करेंगे कि मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के मार्गदर्शिका के अनुरूप ही कार्य कराया जाय।
- योजना कार्यान्वयन से पूर्व उस पर सक्षम पदाधिकारी से प्रवैधिकी स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय।
- कार्यकारी एजेंसी योजनाओं का कार्य निविदा द्वारा प्राक्कलन के विशिष्टियों के अनुरूप कराना सुनिश्चित करेंगे तथा वे इसके लिये पूर्णतः जिम्मेवार होंगे।
- राशि का संधारण वित्तीय नियमावली के तहत संधारित किया जाय।
- किसी भी परिस्थिति में इस राशि का विचलन अयन्त्र नहीं होगा।
- कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा कार्य स्थल पर कार्य प्रारंभ कराये जाने के साथ साईन बोर्ड लगाया जायेगा जिसपर योजना का नाम, योजना का मद, प्राक्कलित राशि कार्यकारी एजेंसी का नाम, संवेदक का नाम तथा योजना पूर्ण होने की तिथि अंकित की जायेगी।
- योजना के कार्य प्रारंभ किये जाने के पूर्व इसका रंगीन फोटो लिया जाय तथा इसे अभिलेख में रखा जाय। इसी प्रकार एक रंगीन फोटो कार्य के मध्य में तथा एक फोटो योजना पूर्ण होने के पश्चात लिया जाय और इसे अभिलेख के साथ संलग्न कर रखा जाय।
- योजना का कार्य अगले तीन माह में अवश्य पूर्ण कर लिया जाय।
- योजना का भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन प्रत्येक माह की तीसरी तारीख तक निश्चित रूप से जिला योजना कार्यालय को उपलब्ध कराया जाय।

10. कार्यकारी एजेंसी इस योजना में कार्य प्रारंभ करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लेंगे कि योजना स्थल सरकारी जमीन हो, किसी भी परिस्थिति में निजी/रैयती जमीन पर योजना कार्य प्रारंभ नहीं किया जाना है। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाय कि वर्णित कार्य किसी अन्य मद से नहीं कराया जा रहा है। योजना के क्रियान्वयन के क्रम में किसी तरह के विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में कार्य को स्थगित करते हुए प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को समर्पित करेंगे।
11. योजना का एनओसी संबंधित विभाग से प्राप्त कर लेंगे।
12. संबंधित विधान मंडल सदस्य से योजनाओं के शिलान्यास/उद्घाटन में विभागीय निदेशों का अनुपालन करेंगे।

30

जिला योजना पदाधिकारी  
मुंगेर।

- ज्ञापांक 86 / जिओयो, दिनांक 16/2/17
- प्रतिलिपि- कार्यपालक अभियंता स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, मुंगेर को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि- जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, मुंगेर को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि- क्षेत्रीय योजना पदाधिकारी, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर को सादर सूचनार्थ।
- प्रतिलिपि- संयुक्त निदेशक, योजना एवं विकास विभाग, बिहार पटना को सादर सूचनार्थ।
- प्रतिलिपि- माननीय सओपीओ, तनवीर अख्तर को सादर सूचनार्थ।

जिला योजना पदाधिकारी  
मुंगेर।